न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
अचलाराम पुत्र राजारामजी जाति मेघवाल निवासी नारादरा तह0 शिवगंज	बनाम	तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार गहलोत

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 87/2025

–:आदेश:–

दिनांक 11.12.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से निवेदन निम्न प्रकार पेश है कि सरहद नारादरा, पटवार हल्का नारादरा, भू.अभि.नि. मांडानी तहसील शिवगंज में स्थित खाता संख्या 14 खसरा संख्या 104/1, 497/1. किस्म ब–1, ब–2 रकबा 0.8580 हैक्टेयर आई हुई स्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज है। राजस्व विभाग की गत जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 315, खसरा संख्या 104, 497, 700/107 रकबा 15–19 बीधा मुझ प्रार्थी के पिताजी राजाराम पुत्र गमनाजी भांबी सा. देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मुझ प्रार्थी के पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 11/02/2019 को हो जाने से एवं माताजी का स्वर्गवास होने से उनके पीछे वारिसान नीचे वर्णित वंशावली पेश की है। वंशावली अनुसार मुझ प्रार्थी के पिताजी स्वर्गीय राजाराम पुत्र गमनाजी एंव मुझ प्रार्थी के भाई स्वर्गीय उमाराम की जगह उत्तराधिकारी म्यूटेशन वंशावली अनुसार दर्ज करते हुये आपसी राजीनामा द्वारा तरमीम किया गया जिसमें खाता संख्या 49 खसरा संख्या 104, 497, रकबा 0.8580 जो (1) किशनलाल पुत्र उमाराम (2) नाबालिग रतकुमार पुत्र उमाराम सरंक्षक ना. बा. की वली माता शांतीदेवी (3) शान्तिदेवी पत्नी उमाराम (4) नाबालिग हितेश पुत्र उमाराम सरंक्षक ना.बा. की बली माता शांती देवी दर्ज है एंव खाता संख्या 89, खसरा संख्या 104/2, 497/2700/107 रकबा 0.8661 हैक्टेयर जो गणेश पुत्र राजाराम दर्ज है व खाता संख्या 49. खसरा संख्या 104. 497 रकबा 0.8580 हैक्टेयर मुझ प्रार्थी का गलत नाम अचलाराम की जगह अशोक के नाम से दर्ज है। उक्त राजस्व खातेदारी जमाबन्दी में उत्तराधिकारी नाम दर्ज करते समय राजस्व अधिकारी द्वारा लिपकीय टंकन भूलवंश अचलाराम पुत्र राजारामजी की जगह अशोक कुमार पुत्र राजारामजी दर्ज किया गया है जबकि मुझ प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे. आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन, अस्पताल रेकर्ड, ममता कार्ड सभी में मेरा नाम अचलाराम पुत्र राजारामजी दर्ज है उक्त सभी दस्तावेज उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो नाम के सही स्वरूप को प्रमाणित करते है। केवल राजस्व खातेदारी जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटी के कारण मुझ प्रार्थी का नाम अशोक कुमार पुत्र राजारामजी दर्ज हो गया है। उक्त जमाबंदी राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि के कारण भविष्य में भूमि स्वामित्व, नामांतरण या उत्तराधिकार के मामलों में जटिलता उत्पन्न हो सकती है, जिससे उक्त नाम को अति शीघ्र संशोधन आवश्यक है। मुझ प्रार्थी ने इस विषय में संबंधित पटवार हल्का नारादरा को मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया है, परंतु अब तक रिकॉर्ड में संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार की त्रुटि का सुधार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के अन्तर्गत किया जाना विधि सम्मत है। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित जमाबंदी में दर्ज गलत नाम अशोक कुमार की जगह सही नाम अचलाराम दर्ज कर शुद्धी करना फरमायें।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

प्र0सं0–87 / 2025
अचलाराम बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से जवाब चाहा गया। तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक कोर्ट / 2025 / 723 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया है कि साक्ष्यो यथा जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड एवं बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम अचलाराम पुत्र राजाराम दर्ज है एवं ग्राम के मौजिज व्यक्तियों से पुछताछ करने पर पाया कि अशोक कुमार पुत्र राजाराम व अचलाराम पुत्र राजाराम दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया जो कि अचलाराम पुत्र राजाराम के नाम से जाना पहचाना जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं ग्राम के मौजिज व्यक्तियो एवं पुछताछ करने पर पाया कि प्रार्थी के ग्राम नारादरा के खाता 14 के खसरा सख्या 104 / 1,497 / 1 किता 2 कुल रकबा 0.8580 है. में अशोक पुत्र राजाराम के स्थान पर अचलाराम पुत्र राजाराम किया जाना उचित बताया है। दिनांक 11.12.2025 को सह खातेदार गणेश पुत्र राजाराम का शपथपत्र पेश किया व इसी दिन इनके बयान लिये गये व इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस की जिसे सुना गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, बयान, व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन व उस पर गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र राजाराम व अचलाराम पुत्र राजाराम दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया जो कि अचलाराम पुत्र राजाराम के नाम से जाना पहचाना जाता है। जिनका वादग्रस्त जमाबंदी में अशुद्ध नाम दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा नारादरा पटवार हल्का नारादरा** के खाता संख्या नया 14 खसरा नं0 104 / 1, 497 / 1 रकबा कमशः 0.5585, 0.2995 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8580 हैक्टयर भूमि में दर्ज नाम अशोक पुत्र राजाराम के स्थान पर **अचलाराम पुत्र राजाराम** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, R.A.S.)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांकः–कोर्ट / 2025 / 679
दिनांक 11–12–2025

प्रतिलिपि पालनार्थः–
4 तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)